


फर्द अहकाम

न्यायालय
नम्बरा

कोशल्या बनाम सरकार
अपवन्ड अधिकारी वस्ती, जयपुर
10/12/25 (2025/253)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>कार्यवाही अमल में लई जा रही है। प्रकरण पर बहस प्रार्थना अधिवक्ता से सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करके एवं बहस पर मनन पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थनागण 14.11.25 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली में पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल हफ्ता हो। यह निर्णय आज दिनांक 13/06/25 को सुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	<p> न्यायाधीश वस्ती (जयपुर)</p>



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठारीन अधिकारी ओम प्रकाश मीना BAS)

प्रकरण संख्या :- 101 / 2023 जी.सी.एम.एस. संख्या :- 2023 / 253

1. बीएसआ देवी पत्नी पूनीलाल
 2. नमसी देवी पत्नी नारायण
 3. रूपादेवी पत्नी रंगलाल
- समस्त जाति मीना निवासी ग्राम बांसखोह तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—प्रार्थीगण—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
 2. रामधन पुत्र आनन्दा जाति गुर्जर निवासी ग्राम बांसखोह तहसील बस्सी जिला जयपुर।
 3. कल्याण पुत्र नानगा जाति गुर्जर निवासी ग्राम बांसखोह तहसील बस्सी जिला जयपुर।
 4. रामसिंह पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बांसखोह तहसील बस्सी जिला जयपुर।
 5. कल्याण पुत्र रमस्या जाति मीना निवासी ग्राम मालीहाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।
 6. मूल्या पुत्र नानगा जाति मीना निवासी मालीहाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।
 7. बदरीनारायण पुत्र प्रभात
 8. श्रवण पुत्र गोविन्दा
- समस्त जाति मीना निवासी ग्राम मालीहाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।



—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 मू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-श्री सुधीर शर्मा, एडवो-प्रार्थीगण।

श्री कुलदीप किशोर शर्मा, एडवो- अप्रार्थी संख्या 7

—निर्णय—

दिनांक 13/06/2025

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की कब्जे कारत एवं खातेदारी भूमि वर्तमान खाता संख्या 509 खसरा नम्बर 96 रकबा 0.4426 है0, खाता संख्या 508 खसरा नम्बर 98 रकबा 0.3035 है0, खाता संख्या 510 खसरा नम्बर 102 रकबा 0.1391 बांके ग्राम बांसखोह पटवार हल्का बांसखोह भू0अ0नि0 क्षेत्र बांसखोह तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण के कब्जे कारत की भूमि का तहसीलदार बस्सी के आदेश की पालना में हल्का पटवारी ने दिनांक 13.06.2023 को नियमानुसार सीमा ज्ञान करवा लिया था एवं प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान के मुताबिक पथरगढी मय पुलिस जाप्ता करवाना चाहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की कब्जे कारत व खातेदारी भूमि खाता संख्या 509 खसरा नम्बर 96 रकबा 0.4426 है0, खाता संख्या 508 खसरा नम्बर 98 रकबा 0.3035 है0, खाता संख्या 510 खसरा नम्बर 102 रकबा 0.1391 है0 बांके ग्राम बांसखोह पटवार हल्का बांसखोह भू0अ0नि0 क्षेत्र बांसखोह तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण के कब्जे कारत की भूमि का तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर की दिनांक 13.06.2023 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के मुताबिक मय पुलिस जाप्ता पथरगढी किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये साधारण/रजि0 डाक एडी तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा उपस्थित आये, बावजूद अवसरों के जवाब पेश नहीं करने एवं बावजूद सम्यक तार्मील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 के विरुद्ध एक तरफ कार्यवाही अमल में लाई गई। उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 96 व 98 का प्रार्थीगण ने आपसी सहमति से विभाजन करवा लिया, जिससे विभाजन पश्चात् खसरा नम्बर 96 से बने नये खाता संख्या 540 बट्टा खसरा 1089/96 रकबा 0.0633 है0, खसरा नम्बर 1090/96 रकबा 0.0632 है0, खसरा नम्बर 1091/96 रकबा 0.3161 है0 तथा खसरा नम्बर 98 से बने नये खाता संख्या 537 बट्टा खसरा नम्बर 1085/98 रकबा 0.0633 है0, खसरा नम्बर 1084/98 रकबा 0.0632 है0, खसरा नम्बर 1086/98 रकबा 0.1770 है0 ग्राम बांसखोह पर प्रार्थीगण काविज खातेदार कारतकार होने से पूर्वानुसार मूल खसरा नम्बरान 96 व 98 से बने नया बट्टा

श्री सुधीर शर्मा
अधीनस्थ

खसरा नम्बरान का समान रकबा व नक्शा होने से सीमाज्ञान के अनुसार ही पत्थरगढी करने हेतु निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थनापत्र की बहस सुनी गई। दौरान-ए-बहस प्रार्थनापत्र द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थनापत्र स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाईश दिनांक 13.06.2023 के अनुसार पत्थरगढी के आदेश जारी करने का निवेदन किया। प्रार्थनापत्र अधिवक्ता ने मुष्टि में जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 एवं 2075-2078 खाता संख्या 510 खसरा नम्बर 102 रकबा 0.1391 है0, खाता संख्या 540 खसरा 1089/96 रकबा 0.0633 है0, खसरा नम्बर 1090/96 रकबा 0.0632 है0, खसरा नम्बर 1091/96 रकबा 0.3161 है0 तथा खाता संख्या 537 खसरा नम्बर 1085/98 रकबा 0.0633 है0, खसरा नम्बर 1084/98 रकबा 0.0632 है0, खसरा नम्बर 1086/98 रकबा 0.1770 है0 बाके ग्राम बांसखोह पटवार हल्का बांसखोह भू0अ0नि0 क्षेत्र बांसखोह तहसील बरसी जिला जयपुर की नकल पेश की।

इस अधिवक्ता प्रार्थनापत्र पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 एवं 2075-2078 खाता संख्या 510 खसरा नम्बर 102 रकबा 0.1391 है0, खाता संख्या 540 खसरा 1089/96 रकबा 0.0633 है0, खसरा नम्बर 1090/96 रकबा 0.0632 है0, खसरा नम्बर 1091/96 रकबा 0.3161 है0 तथा खाता संख्या 537 खसरा नम्बर 1085/98 रकबा 0.0633 है0, खसरा नम्बर 1084/98 रकबा 0.0632 है0, खसरा नम्बर 1086/98 रकबा 0.1770 है0 बाके ग्राम बांसखोह पटवार हल्का बांसखोह भू0अ0नि0 क्षेत्र बांसखोह तहसील बरसी जिला जयपुर के अंकित इन्दाज के अनुसार आराजी विवादित प्रार्थनापत्र की खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलान रिपोर्ट पैमाईश दिनांक 13.06.2023 एवं तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 06.06.2024 से भी यह तथ्य प्रार्थनापत्र साबित है कि प्रार्थनापत्र द्वारा तहसीलदार बरसी के माध्यम से हल्का पटवारी से दिनांक 13.06.2023 को विवादित आराजी की पैमाईश कराई जा चुकी है। जिसके नोर्स इस प्रकार है कि :- Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and where this is not possible or such available, on the basis of actual possession.

(2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land records officer shall endeavour to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly-

Sec. 128. Boundary disputed- All disputed concerning boundaries shall be decided by the land

Records Officer in the manner laid down in section 111. उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थनापत्र की कब्जेकारत की खातेदारी भूमि है, जिसका प्रार्थनापत्र द्वारा पूर्व में सीमाज्ञान कराया जा चुका है। इसलिये प्रार्थनापत्र को अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

- प्रार्थना पत्र प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956 खाता संख्या 510 खसरा नम्बर 102 रकबा 0.1391 है0, पूर्व खसरा नम्बर 96 से बने नये बट्टा खसरा 1089/96 रकबा 0.0633 है0, खसरा नम्बर 1090/96 रकबा 0.0632 है0, खसरा नम्बर 1091/96 रकबा 0.3161 है0 तथा पूर्व खसरा नम्बर 98 से बने नये बट्टा खसरा नम्बर 1085/98 रकबा 0.0633 है0, खसरा नम्बर 1084/98 रकबा 0.0632 है0, खसरा नम्बर 1086/98 रकबा 0.1770 है0 बाके ग्राम बांसखोह पटवार हल्का बांसखोह भू0अ0नि0 क्षेत्र

न्यायपालिका
जयपुर

वरुणर तहसील वरुसी जललल जयपुर रसीकर कललल जललल है। तहसीलदर वरुसी कल
आदेश जलरी कलरु जलत है कल वल अपनल उपरुशलतल नुं प्रलरुनलण कल खरुन पर पशुकरलन कल
उपरुशलतल नुं वलवलदलत आरलनल कल नुं मलइश कर धलरल 111 नुं वनलत प्रलकलल कल अनुसर
सीमलनलन दलनलक 13.06.2023 कल अनुसर करलम करनल हेतु संवंधलत नुं-अनललेख नलरुशलक
शुनर एवुं उस नुं-अनललेख नलरुशलक शुनर कल तीन पदवलरीनणल कल संयुक्त टीम गठलत कल
जलकर यलदल नुं कल पर कलनुन वरुवरुथलरुत पुरलस जललल कल आवरुथकलतल हल तल संवंधलत
पुरलस थलनल सं परुवलत पुरलस इमदलद प्रलत कर नुंवलललत हललल कल आदेश कल पललनल नुं
नललमलनुसर पदरुगलढल करलनल कल करुवलरुहल कलरुं। यलं यल रुपलद है कल यल आदेश कलवल
सीमलनलन एवुं सीमलवलरुह करुलम करनल हेतु है। इस आदेश कल पललनल नुं कलसी नुं पशु कल
जलरन लदखलल कर दूसरल पशु कल कलनल न दलललल जललल। तहसीलदर वरुसी कल पललनल
हेतु नलरुथ प्रलत नलललरुवई जललल।

यल नलरुथ आल दलनलक 13.06.2025 कल ललखललल जलकर खल नुंवलललत नुं सुनललल गलल। पनलरुलल
नलरु सं कल हलकर लदल पुरलतल जलल लेख नुंजर हल।



(ओम प्रकलश ओनल र.आ.स.)
उपखणुद अलवलकलरी वरुसी
जललल जयपुर

